तारीख हुकम
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अज अदालत अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–04 जयपुर महानगर–।। (राज)
फौजदारी निगरानी संख्या–**14/2026**
सी.आई.एस.संख्या–**287/2026**

रामविलास यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

15.06.2026	निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग कृष्णानी व श्री मुकेश कुमावत उपस्थित। गैर–निगरानीकार सं0 1 राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मुकेश जोशी उपस्थित। गैर निगरानीकार सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त सिंह उपस्थित। हस्तगत निगरानी न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–03, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या–535/2026 बउनवान रामविलास यादव बनाम राधेश्याम मीणा में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.04.2026 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिस आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.10.2024 बाबत् साक्ष्य खोले जाने का निस्तारण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय के समक्ष पेश की गई, जो कालान्तर में हस्तान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। बहस निगरानी उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवानी परिवाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2024 को	

	परिवादी की साक्ष्य बंद कर दी गई। परिवादी दिनांक 14.07.2024 को अपने भाई की मृत्यु हो जाने के कारण मजबूरीवश जयपुर से बाहर अहमदाबाद होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सका, जिस संबंध में वह अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ पेश कर रहा है तथा उक्त समस्त दस्तावेजात परिवादी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस मोबाईल पर अधीनस्थ न्यायालय में दिखा दिये गये थे, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तो परिवादी न्याय प्राप्ति के लिये सदैव के लिये वंचित हो जावेगा, ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार कर परिवादी की साक्ष्य खोले जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता / परिवादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं :– 1. (1997) 4 एस.सी.सी. 137 अमरनाथ व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2. (1977) 4 एस.सी.सी. 551 मधु लिमाये बनाम महाराष्ट्र राज्य 3. (2000) 6 एस.सी.सी. 195 के.के.पटेल बनाम गुजरात राज्य व अन्य 4.(1999) 3 एस.सी.सी. 134 राजेन्द्र कुमार सीताराम पाण्डे एवं अन्य बनाम उत्तम व अन्य इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं	

गैर–निगरानीकर्ता सं0 2/अभियुक्त ने उक्त तर्को को विरोध करते हुए दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन कर पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की। अपने तर्को के समर्थन में अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं :–

1. 2009 (एस.सी) 749 सेतुरमण बनाम राजामणिक्कम
2. 2022 (राजस्थान) 18663 मौहम्मद उमर बनाम ज्ञानचंद
3. 2026 (राजस्थान) 11571 सुमेरा राम बनाम ओमाराम

उभय पक्षों के बहस के तर्को पर मनन किया एवं निगरानी पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.04.2026 विधि सम्मत, त्रुटिरहित या औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ?

अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 23.04.2026 का अवलोकन करें तो इस आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने यह वर्णित किया है कि–

"परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से परिवादी की

		साक्ष्य पुनः खोली जाकर परिवादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 10.01.2020 को परिवादी रामविलास यादव की मुख्य परीक्षा बतौर पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में लेखबद्व की गई तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत् प्रदर्श पी–8 डिलिट किये जाने पेश किया गया, जिसे दिनांक 02.03.2021 को अस्वीकार कर खारिज किया गया तथा पत्रावली जिरह परिवादी हेतु दिनांक 16.04.2021 के लिये नियत की गई। तत्पश्चात् निरंतर 14 पेशियों तक पत्रावली जिरह परिवादी हेतु नियत रही। दिनांक 12.12.2023 को परिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु समय चाहा गया, जिस पर 500/–रूपये की कोस्ट पर परिवादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर इस शर्त के साथ दिया गया कि किसी भी सूरत में परिवादी को साक्ष्य हेतु अन्य अवसर नहीं दिया जावेगा। कोस्ट अदायगी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी तथा पत्रावली साक्ष्य परिवादी हेतु दिनांक 27.02.2024 के लिये नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली निरंतर 2 पेशियों तक साक्ष्य परिवादी हेतु नियत रही। दिनांक 22.07.2024 को परिवादी के साक्ष्य हेतु अनुपस्थित रहने पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई तथा पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् अधिवक्ता परिवादी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश कर परिवादी के	

	भाई की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होना बताया। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अधिवक्ता परिवादी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र के साथ परिवादी के भाई की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से दर्शित होता है कि अधिवक्ता परिवादी को पूर्व में साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। प्रार्थी / परिवादी का आशय हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश कर प्रकरण में विलम्ब कारित किया जाना दर्शित होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी / परिवादी को साक्ष्य हेतु एक और अवसर दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी / परिवादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।'' जहॉ तक निगरानी की पोषणीयता का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2024 को निगरानीकर्ता / परिवादी रामविलास यादव द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य खोले जाने का निवेदन किया गया था। जिस प्रार्थनापत्र को विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.04.2026 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी याचिका पेश की गई है। इसके विपरीत	

गैर–निगरानीकर्तागण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह प्रार्थनापत्र धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पारित आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है।

इस संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Sethuraman Vs Rajamanickam Criminal Appeal No. 486-487 of 2009 (Arising out of SLP (Cri) No. 2688-89 of 2005) Decided on 18 March 2009** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि –"Criminal Procedure Code, 1973, Section 91, 311, 397(2) Interlocutory order - Revisional jurisdiction - An order passed by the trial court refusing to call for documents under Section 91 Cr.P.C. and rejecting an application under Section 311 Cr.P.C. are interlocutory orders - A revision against such orders is barred under Section 397(2) Cr.P.C."(Para 4)

दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **2022 (Rajasthan) 18663 Mohammad Umar S/o Shri Karimji Vs Gyanchand S/o Shri Achalchand Decided on 02.05.2022** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–''Criminal Procedure Code, 1973, Section 311, 397(2) Revision against order on application under Section 311 Maintainability An order passed on an application under Section 311 of the Code of Criminal Procedure, 1973, either accepting or rejecting it, is an interlocutory order Revision against such order is expressly barred by Section 397(2) of the Code." (Para 8)

दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत **Sumera Ram S/o Durga Ram Vs Oma Ram S/o Lala Ram 2026 (Rajasthan) 11571 Decided**

on 29.04.2026 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–"Revision - Maintainability Interlocutory Order - A revision petition is not maintainable against an order of an interlocutory nature, such as the rejection of an ad-interim relief application." (Para 2)

इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांत **2025 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1058 Subhash Vs State of Rajasthan Thro'P.P. & Anr.** का इस संबंध में अवलोकन करें तो इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–"Negotiable Instruments Act, 1881-Sec. 138-Evidence Closed after giving several opportunities- in revision against the order, the Additional Session Judge set aside the order and ordered re-opening of evidence- Dishonour of cheque- Contention that dhe impugned order of closing evidence was an interiocutory order and no revision under Sec. 397(2) Cr.P.C. was maintainable-No final order-Revision was not maintainable-Held, Impugned orderis illegal and set aside."(para 9)

इस तरह उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 311 दं.प्र.सं. से संबंधित प्रार्थनापत्रों पर पारित आदेश अर्न्तवर्तीय आदेश की परिभाषा में आता है, जिनके विरूद्व निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है।

जहॉ तक दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है तो न्यायिक दृष्टांत **(1978) AIR (SC) 47 Madhu Limaye Vs The State of Maharashtra Criminal Appeal No. 81 of 1977 Decided on 31.10.1997** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 482 द्र.पं.सं. के तहत प्रावधान किया गया

	है तथा शेष समस्त न्यायिक दृष्टांतों में निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में उपरोक्त में किये गये विवेचन के क्रम में तथा अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2025 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1058 Subhash Vs State of Rajasthan Thro'P.P. & Anr.** में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्वांतों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण पर उक्त न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होने से निगरानीकर्ता/परिवादी की कोई मदद नहीं करते हैं। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टांतों तथा विशेष रूप से एन. आई.एक्ट में ही साक्ष्य बंद करने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2025 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1058 Subhash Vs State of Rajasthan Thro'P.P. & Anr.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्वांतों की रोशनी में हस्तगत निगरानी पत्रावली का अवलोकन करें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.04.2026 के द्वारा परिवादी की साक्ष्य बंद कर दी गई थी, जिसे खोले जाने बाबत् परिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्वांतों पर अवलम्बता व्यक्त करते हुए इस न्यायालय के मत में यह हस्तगत निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।	

	परिणामतः निगरानीकर्ता–परिवादी **रामविलास यादव** द्वारा प्रस्तुत यह दांडिक निगरानी पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 23.04.2026 की पुष्टि की जाती है। आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **(नीलम करवा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–04, जयपुर महानगर–द्वितीय**	